14.12.18

पत्रावली पेश हुई
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी/उभयपक्ष/उप.
अनुपस्थित
अधिवक्ता/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप.
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते इतला प्रतिवादी प्रति 6-8
आगामी पेशी दिनांक 4.1.19
को पेश हो।

4.1.19

अभिभाषकगण उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर ~~अन्य कार्य/चुनाव कार्य में व्यस्त~~ है। पत्रावली दिनांक 9.1.19 को पेश हो।

9.1.19

उभय पक्ष उप.। लेकिन वादी ने वादी इकरारनामा का राजी-पत्र पेश किया। बिहस नहीं करना चाहते व लेकिन भी पेश नहीं करना चाहते है पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 11.1.19 को पेश हो।

11.1.19

उभय पक्ष उप.। बहस अंतिम सुनी गई। पत्राव. वास्ते निर्णय दिनांक 18.1.19 को पेश हो।

18.1.19

पत्रावली पेश हुइ
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी/उभयपक्ष/उप.
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते निर्णय
आगामी पेशी दिनांक 23.1.19
को पेश हो।

23.1.19

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप.। वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है, विस्तृत निर्णय शामिल पत्रावली है राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज होगा। फर्द डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला मुकम्मल होकर शामिल रेकार्ड की जावे आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्र सिह पुरोहित आर ए एस

मुकदमा नम्बर :– 373/2017

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आर टी ए

अनवान मुकदमा :–

भूरा राम पुत्र श्री सुरजारमा जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ
––वादी

बनाम

1–काशीराम पुत्र श्री लेखराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ

2–शांति देवी पत्नी हेतराम–फौत

3–रूकमा देवी पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ

4–बिमला दवी पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ

5–लीलादेवी पुत्री पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ

6–सुमित्रा देवी पुत्री पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ

7–कृष्णलाल पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ

8–प्रबन्धक ओ बी सी बैंक शाखा धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ
–––प्रतिवादीगण

9–स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ

उपस्थिति :– 1–श्री देवी लाल भांभु एडवोकेट––वादी की ओर से

2–श्री राजेश रोकना एडवोकेट ––प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 की ओर से

दिनांक 23.1.19

<u>निर्णय</u>

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद धारा 88 व 53 आर टी ए न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि चक 15 एम एम के खाता सख्या 121/113 प0नं0 110/202 मुरबा नं0 25 किला नम्बर 5 ता 20 कुल 3.795 है0 सांझे खाते मे वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबंदी सलंग्न है। प्रश्नगत भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 काशीराम के नाम से 3.681 हिस्सा दर्ज है जबकि काशीराम के कब्जा मे 3.10 बीघा प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के नाम 3.681 हिस्सा दर्ज है जबकि प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के कब्जा काश्त मे 3.10 बीघा, प्रतिवादी संख्या 7 के नाम 2.024 हिस्सा दर्ज है जबकि प्रतिवादी संख्या 7 के कब्जा मे 2.00 बीघा तथा वादी के कब्जा काश्त मे 6.00 बीघा कृषि भूमि मुताबिक घरेलु बंटवारा चली आ रही है। उक्त वर्णित 15.00 बीघा का घरेलु बंटवारा अरसा दराज से किया हुआ है तथा मुताबिक कब्जा काश्त वादी घोषणा करवाकर खाता विभाजन करवाना चाहता है मुताबिक घरेलु बंटवारा वादी के कब्जा काश्त मे चक 15 एम एम के खाता संख्या 121/113 प0नं0 110/202 मुरबा नं0 25 किला नम्बर 12, 13, 17 ता 20 कुल रकबा 6.00 बीघा कब्जा काश्त मे है, इत्यादि कथन करते हुए उक्त 15 बीघा मे

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Scanned by CamScanner

6 बीघा का अपने आपको खातेदार घोषित करने व खाता विभाजन करने का निवेदन किया। वाद दर्ज
रजिस्टर किया गया । तलबी नोटिस जारी हुऐ। दौराने दावा वादी ने दरख्वास्त आदेश 22 नियम 4
सीपीसी पेश कर प्रतिवादी सं0 2 शांति देवी की मृत्यू हो जाने की सूचना दी जिस पर प्रतिवादी
संख्या 2 शांति देवी के नाम की आगे मृतक अंकित किया गया। प्रतिवादी संख्या 9 राज पेरोकार ने
जवाब प्रस्तुत कर अपनी अनापति जाहिर की.। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 से 7 ने दिनांक
10–9–2018 को हाजिर अदालत आकर राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा
प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया तथा बाहमी बंटवारा वादी भूराराम चक 15 एम एम के
खाता संख्या 121/113 प0नं0 110/202 मुरबा नं0 25 किला नम्बर 12, 13, 17 ता 20 कुल 6.00
बीघा, प्रतिवादी संख्या 1 काशीराम चक 15 एम एम के खाता संख्या 121/113 प0नं0 110/202
मुरबा नं0 25 किला नम्बर 5 ता 7, 8/10 बिस्वा कुल 3.10 बीघा मय गैरमुमकिन, प्रतिवादी संख्या
3 ता 6 रूकमा देवी वगैरा चक 15 एम एम के खाता संख्या 121/113 प0नं0 110/202 मुरबा नं0
25 किला नम्बर 8/10 बिस्वा, 9 ता 11 कुल 3.10 बीघा बहिस्सा बराबर व प्रतिवादी संख्या 7
कृष्णलाल चक 15 एम एम के खाता संख्या 121/113 प0नं0 110/202 मुरबा नं0 25 किला नम्बर
14, 15 कुल 2.00 बीघा मय गैरमुमकिन पर काबिज होना बताया। राजीनामा तस्दीक किया गया ।

आदेश

वकुलाए वादी व प्रतिवीगण की बहस सुनी । बहस के तथ्यो व राजीनामा पर मनन किया। वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजीनामा मे वर्णितानुसार प्रश्नगत भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1, 3 से 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व मुताबिक बाहमी बंटवारा/राजीनामा वादी व प्रतिवादीगण का खाता विभाजन कर रकम राज अलग अलग कायम की जावे। बैंक ऋण मुक्त होने पर राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे। डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.1.2019 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफतर फरमाई जावे।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर हनुमानगढ

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद मे डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्र सिह पुरोहित आर ए एस

अनवान मुकदमा :–

भूरा राम पुत्र श्री सुरजारमा जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ

––वादी

बनाम

1–काशीराम पुत्र श्री लेखराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ

2–शांति देवी पत्नी हेतराम–फौत

3–रूकमा देवी पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ

4–बिमला दवी पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ

5–लीलादेवी पुत्री पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ

6–सुमित्रा देवी पुत्री पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ

7–कृष्णलाल पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ

8–प्रबन्धक ओ बी सी बैंक शाखा धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ

9–स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।

–––प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा व खाता तकसीम

मुकदमा नम्बर :– 373/2017

निर्णय दिनाक :– 23.1.18

वादी की ओर से श्री देवी लाल भांभु एडवोकेट की व प्रतिवादी की ओर से श्री राकेश रोगना एडवोकेट की उपस्थिति मे इस वाद मे पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिकी की जाती है कि :–

1–मुताबिक राजीनामा/बाहमी बंटवारा वादी भूराराम चक 15 एम एम के खाता संख्या 121/113 प0नं0 110/202 मुरबा नं0 25 किला नम्बर 12, 13, 17 ता 20 कुल 6.00 बीघा का, प्रतिवादी संख्या 1 काशीराम चक 15 एम एम के खाता संख्या 121/113 प0नं0 110/202 मुरबा नं0 25 किला नम्बर 5 ता 7, 8/10 बिस्वा कुल 3.10 बीघा मय गैरमुमकिन का, प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 रूकमा देवी, बिमला देवी, लीलादेवी, सुमित्रादेवी चक 15 एम एम के खाता संख्या 121/113 प0नं0 110/202 मुरबा नं0 25 किला नम्बर 8/10 बिस्वा, 9 ता 11 कुल 3.10 बीघा बहिस्सा बराबर का व प्रतिवादी संख्या 7 कृष्णलाल चक 15 एम एम के खाता संख्या 121/113 प0नं0 110/202 मुरबा नं0 25 किला नम्बर 14, 15 कुल 2.00 बीघा मय गैरमुमकिन का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। बैंक ऋण मुक्त होने पर राजस्व रिकार्ड मे उक्तानुसार खाता विभाजन दर्ज फरमाया जावे।

यह आज तारीख 23.1.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रां लगाकर दी गई।

(सुरेन्द्र सिह पुरोहित)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलक्टर हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner